राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आइ डी एस पी / 2020 / 250 दिनांक 7/3/2020

प्रिंसिपल एण्ड कंट्रोलर,
राजकीय मेडिकल कॉलेज,
पाली / चुरू / बाड़मेर / डूंगरपुर / भरतपुर / भीलवाड़ा / सीकर / अलवर

महोदय,

दिनांक 3 मार्च 2020 को जारी पत्र से के अनुसरण में भी दिनांक 3 मार्च 2020 को जारी पत्र से के अनुसरण में आज दिनांक 7 मार्च 2020 को दैनिक कोरोना वायरस मीटिंग में लिये निर्णयानुसार राज्य में कोरोना वायरस रोग के नियंत्रण हेतु समस्त निजी मेडिकल कॉलेजों में भी रैपिड रेस्पोंस टीम (RRT) का गठन किया जाना है। रेपिड रेस्पोंस टीम निम्नानुसार गठित की जावे

1. वरिष्ठ आचार्य, पी एस एम
2. वरिष्ठ आचार्य, मेडिसिन
3. वरिष्ठ आचार्य, माइक्रोबायोलॉजी
4. वरिष्ठ आचार्य, शिशु रोग
5. एपिडेमिओलोजिस्ट

रेपिड रेस्पोंस टीम का दायित्व निम्नानुसार होगा

1. रेपिड रेस्पोंस टीम संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के संपर्क में रहते हुए कौरोना वायरस के संदिग्ध मरीज़ की सूचना पर, सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे
2. उक्त रेपिड रेस्पोंस टीम के वरिष्ठ प्रोफ़ेसर पी एस एम् विभाग, नोडल अधिकारी होंगे। वे संदिग्ध यात्रियों के संपर्क में आए समस्त होटल स्टाफ़, भ्रमण स्थल पर संपर्क में आए नागरिक एवं उपचार के दौरान संपर्क में आए व्यक्तियों का सर्विलांस कराते हुए आवश्यकतानुसार उनकी Sampling करवाते हुए चिकित्सकीय जाँच हेतु चिन्हित चिकित्सा संस्थान पर भिजवाएंगे।

3. वरिष्ठ प्रोफ़ेसर मेडिसिन / वरिष्ठ प्रोफ़ेसर पीडियाट्रिक चिकित्सा संस्थान पर उपस्थित रह कर उक्त अनुसार संपर्क में आए व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण करेंगे तथा ILI के लक्षण पाए जाने पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करते हुए दिशा-निर्देशानुसार चिकित्सकीय प्रबंधन करना सुनिश्चित करेंगे|

4. वरिष्ठ प्रोफ़ेसर माइक्रोबायोलॉजी विभाग, यात्रियों के ठहरने व भ्रमण स्थलों को दिशा-निर्देशानुसार वि-संक्रमित करवाएंगे एवं संदिग्ध व्यक्तियों का जाँच हेतु सैंपल लेकर एस एम् एस मेडिकल कॉलेज जयपुर भिजवाएंगे|

5. एपिडेमियोलॉजिस्ट आई डी एस पी उपरोक्त कार्यों में टीम को सहयोग प्रदान करेंगे एवं समस्त सूचनाओं की लाइन लिस्टिंग तैयार कर निदेशालय को तुरंत अवगत करवाएंगे|

उपरोक्त गतिविधियों के साथ साथ एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन व कांटेक्ट ट्रेसिंग प्लान बनाते हुए ज़िले में कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से समस्त गतिविधियां संपादित करवाएंगे|

07/03/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान

क्रमांक: आइ डी एस पी / 2020 /250 दिनांक 7/3/2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर ।